MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 17 th February, 2017

G.S.R. 63.—In the exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, the Central Ground Water Board, Gestetner Operator (Senior), Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2015, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, the Central Ground Water Board, Gestetner Operator (Senior), Group 'C' Post, Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, the Central Ground Water Board, Gestetner Operator (Senior), Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"**2. Number of post, classification and level in pay matrix.**— The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules".

3. In the Schedule to the said rules, in column (4),-

(a) for the column heading, the following column heading shall be substituted, namely:-

"Level in pay matrix";

(b) for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-2 (Rs.19900) in the pay matrix".

[F. No. 23/06/2016-CGWB]

P. DEB, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 177, dated the 19th September, 2015.

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 64.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, बहु कार्य कर्मचारीवृंद, समूह "ग" पद, भर्ती नियम, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, बहु कार्य कर्मचारीवृंद, समूह "ग" पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, बहु कार्य कर्मचारीवृंद समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2016 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), नियम 1 के उप-नियम (1) में "जल संसाधन मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर "जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय" शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर को इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।"

4. उक्त नियमों की अनुसूची के स्तंभ (4) में-

(क) शीर्षक स्तंभ के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:–

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर";

(ख) प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:–

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (18,000 रुपए)"

[फा. सं. 23/07/2016-सीजीडब्ल्यूबी]

पी. देब, अवर सचिव

टिप्पण:- मूल नियम, संख्या सा.का.नि. 50, तारीख 26 मार्च, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 17 th February, 2017

G.S.R. 64.—In the exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, Multi Tasking Staff, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Multi Tasking Staff, Group 'C' Post, Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, Multi Tasking Staff, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2016 (hereinafter referred to the said rules), in sub-rule (1) of rule 1, for the words "Ministry of Water Resources," the words "Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation," shall be substituted.

3. In the said rules, for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules".

4. In the Schedule to the said rules, in column (4),-

(a) for the column heading, the following column heading shall be substituted, namely:-

"Level in pay matrix";

(b) for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-1 (Rs.18000) in the pay matrix".

[F. No. 23/07/2016-CGWB]

P. DEB, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 50, dated the 26th March, 2016.

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 65.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (आशुलिपिक श्रेणी-III, समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, आशुलिपिक श्रेणी-III, (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, आशुलिपिक श्रेणी-III, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2016 में-

(क) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।"

(ख) अनुसूची में-

(i) स्तम्भ (1) में, प्रविष्टि के स्थान पर "आशुलिपिक श्रेणी-II" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) स्तम्भ (4) में-

(अ) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्–"वेतन मैट्रिक्स में स्तर";

(आ) प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात्:–

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4"

[फा. सं. 23/02/2016-सीजीडब्ल्यूबी]

पी. देब, अवर सचिव

पाद टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 260 तारीख 20 दिसम्बर, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 10] नई दिल्ली, मार्च 20—मार्च 26, 2016, शनिवार/फाल्गुन 30, 1937—चैत्र 6, 1938

No. 10] NEW DELHI, MARCH 20—MARCH 26, 2016, SATURDAY/PHALGUNA 30, 1937— CHAITRA 6, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2016

सा.का.नि. 50.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (फराश) भर्ती नियम, 1976,जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (जिल्दसाज) भर्ती नियम 2000, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (दफ्तरी) समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2007, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (चपरासी) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 को केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (चौकीदार) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (सफाईवाला) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए , जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में दफ्तरी, चपरासी, चौकीदार, सफाईवाला, फराश और जिल्दसाज के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड , बहुकार्य कर्मचारीवृंद समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण , वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान : पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि : भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
बहुकार्य कर्मचारीवृंद	251* (2016) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित,	वेतन बैंड-1; (5200-20200/-) + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है। टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

				टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
7	8	9
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण*। *पद की विशेष अपेक्षाओं के अनुसार, यदि कोई हो, अंगीकृत किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा
10	11
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12		13
1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड -	अध्यक्ष	लागू नहीं होता।
2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड का ग्रेड वेतन रू 6600/- पाने वाला एक अधिकारी	सदस्य	
3. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के सचिवीय काडर का ग्रेड वेतन रुपये 4800/- पाने वाला एक अधिकारी	सदस्य	

[फा.सं. 23/02/2010-केभूजबो]

विनीत अब्राहम, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 17th March, 2016

G.S.R.50.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board, (Farash) Recruitment Rules, 1976, the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board (Binder) Recruitment Rules, 2000, the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board (Daftry) Group 'D' Post Recruitment Rules, 2007, the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, (Peon) Group-C Post Recruitment Rules, 2010, the Central Ground Water Board, (Chowkidar) Group'C' Post Recruitment Rules, 2010, the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, (Safaiwala) Group-C post Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Daftry, Peon, Chowkidar, Safaiwala, Farash and Binder in the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, namely:-

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, **Multi Tasking Staff,** Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and the scale of pay.**- The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection or non - selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Multi Tasking Staff	251*(2016) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group'C' Non-Gazetted,	Pay Band-1 Rs.5200-20200 plus Grade Pay Rs.1800/-	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years (relaxable for Government Servant upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). **Note 2:** In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Matriculation from a recognized Board Or Industrial Training Institute pass* *May be adopted as per special requirement of the post, if any.	Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment.	Not applicable	Departmental Promotion Committee Group 'C' (for considering confirmation) consisting of:- (i) Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairman; (ii) An Officer of Central Ground	Not applicable.

		Water Board with Grade Pay of Rs.6600/- – Member; and (iii) An Officer of Ministerial Cadre of Central Ground Water Board with Grade Pay of Rs.4800/- - Member.	

[F.No.23/02/2010-CGWB]

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2016

सा.का.नि. 51.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2005 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में सफाई अधीक्षक, केयर टेकर और प्रधान पर्यवेक्षक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, सफाई अधीक्षक, केयरटेकर और प्रधान पर्यवेक्षक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि – भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय –समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।